

317

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, श्रृंखला न्यायालय रीवा संभाग

URS

रीवा, मध्यप्रदेश



Rs 30/-

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक/2015-16

RS233-II/15

- 1- राममनोहर तनय रामेश्वर लोहार
- 2- रामसजीवन तनय रामेश्वर लोहार
- 3- श्यामसुन्दर तनय रामेश्वर लोहार

सभी पेशा खेती निवासी ग्राम तेन्दुआ तहसील गोपदबनास जिला सीधी

उभयपक्षीय विवाद
 दिनांक 16-12-15
 म0प्र0
 किय गया।

आवेदकगण

बनाम,

सर्किट कोर्ट सीधी रामसुमिरन तनय जागेश्वर लोहार साकिन तेदुआ

- 2- रामावतार तनय जागेश्वर लोहार साकिन तेदुआ

दोनो तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

- 3- मुस0 मुन्नी देवी वेवा रामलखन उम्र 45 साल
- 4- ममता देवी पुत्री रामलखन उम्र 20 साल
- 5- आशीष कुमार उर्फ लाला तनय रामलखन उम्र 10 साल
- 6- छोटू तनय स्व0 रामलखन उम्र 6 साल

क्रमांक- 5,6 नावालिग द्वारा वली संरक्षिका माता अनावेदिका क्रमांक-3

मुन्नी देवी विधवा रामलखन सभी निवासी ग्राम तेन्दुआ तहसील

गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर
 कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी म0प्र0
 प्रकरण क्रमांक 38/निगरानी/2012-2013 में
 परित आदेश दिनांक 26.10.2015,

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व
 संहिता 1959

50/16/12/15

M


A

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5233-II/15

जिला-सीधी

राममनोहर/रामसुमिरन लोहार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री उमाकांत विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 38/निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	